

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88/53 आरटीए
प्रकरण संख्या:- 387/2025

विनोद कुमार पुत्र श्री काशीराम जाति जाट निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्

1. काशीराम पुत्र श्री बीरराम उर्फ बीरबलराम जाति जाट निवासी रासूवाला तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. मन्जू पुत्री श्री काशीराम जाति जाट निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।


प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मूण्ड वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक्र 9 पीटीपी खाता संख्या 11/105 जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 मे प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि मे से वादी विनोद कुमार को प.न. 124/127 मु.न. 2 5/1/0.228 है. 5/2/0.025 , 6/0.263 है. प.न. 125/127 मु.न. 3 किला नं. 2/1/0.228 है. किला नं. 2/2/0.025 है. 3/1/0.228 है. 322/0.025 है. 8/0.253 है. कुल 1.265 है. मय गै.मु. आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा इसी अनुसार वादी का खाता अलग कायम किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का उक्तानुसार हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है।

नोट:- वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज नल मुब्लिक निल बाबत् निल खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक अदा करें।

बसबत मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 18.9.2025 को जारी किया गया।


(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
संगरिया